न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 15/458

1. मोहनलाल आत्मज गोपीलाल जाति मीणा निवासी नन्दपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
2. रामकिशन आत्मज गोपीलाल जाति मीणा निवासी नन्दपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
3. रामलाल आत्मज श्री कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम नन्दपुरा तहसील एवं जिला बून्दी।
4. गोमदा आत्मज कल्याण जाति मीणा निवासी नन्दपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
5. गेन्द बिहारी आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम नन्दपुरा तहसील व जिला बून्दी।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बिरधी लाल आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम नन्दपुरा तहसील व जिला बून्दी
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट कम 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 14.08.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद बाबत् अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बम्बोरी तहसील एवं जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 331/1 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । पूर्व में उक्त भूमि खसरा नम्बर 333 का रकबा 29 बीघा 15 बिस्वा था जिसमें से 22 बीघा भूमि वादी के पूर्वजों द्वारा क्रय करने पर इसका बटा खसरा नम्बर 333/1 रकबा 22 बीघा डाला गया शेष 07 बीघा 15 बिस्वा भूमि का खसरा नम्बर 333 मिन डाला जाकर 07 बीघा 15 बिस्वा इस खसरा नम्बर में रहा । उक्त आराजी का पहले कुल रकबा 45 बीघा था जो वादीगण के पूर्वज रामनारायण, कल्याण व गोपी आत्मज गंगाबिशन जाति मीणा निवासी नन्दपुरा ने मानमल वल्द हीरालाल से क्रय किया था । उक्त भूमि दिनांक 24.06.1953 को क्रय की थी उसका कब्जा भी प्राप्त कर लिया था । वर्ष 1953 से ही उक्त भूमि वादीगण के पूर्वजों कल्याण, रामनारायण व गोपी पिसरान गंगाबिशन के कब्जे काश्त में चली आ रही है । मानमल आत्मज हीरा लाल के विरूद्ध उनके खाते की अन्य भूमि बाबत जो सीलिंग की कार्यवाही चली उसमें वादीगण के पूर्वजों द्वारा क्रय की गई भूमि को भी सम्मिलित कर दिया परन्तु वादीगण के पूर्वजों द्वारा उज्रदारी पेश करने पर उक्त भूमि भारग्रस्त मानते हुए वादीगण के पूर्वजों की उज्रदारी स्वकार करते हुए माननीय सहायक जिलाधीश द्वितीय बून्दी द्वारा मि0 नं0 448/75 में दिनांक 26.11.

78 को आदेश पारित किया गया और उक्त भूमि सीलिंग से मुक्त कर दी थी जिसे वादीगण के पूर्वजों का कब्जा माना गया था । उक्त भूमि अवैधानिक रूप से सिवाय चक दर्ज हो रही है जिससे वादीगण के कानूनी अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 333/1 रकबा 22 बीघा भूमि वाके ग्राम बम्बोरी का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे और इस भूमि के सम्बन्ध में जमाबन्दी में सिवाय चक सरकारी खाता विलोपित किया जाकर यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. प्रतिवादी क्रम 1 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के साथ स्वयं को भी वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करने की प्रार्थना की । प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा उक्त दावे को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 30.07.2015 के द्वारा खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुने बिना ही तथा साक्ष्य लिये बिना ही तनकीयात कायम किये बिना ही खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को अपीलान्ट को सूचित किये बिना ही राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट ने यह दावा अधीनस्थ न्यायालय में अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया था । यह दावा साक्ष्य में लम्बित था और इस राजस्व लोक अदालत में रखा गया । राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ था, पक्षकारान उपस्थित भी नहीं थे फिर भी बिना सीपीसी की पालना किये वादी के दावे को खारिज कर दिया जो विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रसत आराजी सरकारी सिवायचक भूमि और वादी के द्वारा कब्जा मुखालफाना के आधार पर दावा पेश किया

है जो मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 बहाल रखा जावे ।

10. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

11. हमने इस प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में भू–प्रबन्ध विभाग के नकल मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति और एक तहरीर की फोटो प्रति पेश की है । उक्त दस्तावेजात की फोटो प्रति है प्रमाणित प्रतियॉ नहीं हैं ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज अपील की स्टेज पर रिकॉर्ड पर नहीं लिये जा सकते । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज किया जाता है ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी के द्वारा अपने दावे में यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 331/1 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा ग्राम बम्बोरी तहसील बून्दी में स्थित है । इस भूमि के पूर्व में खसरा नम्बर 333 रकबा 29 बीघा 15 बिस्वा था जिसे वादी के पूर्वजों ने क्रय किया था, आराजी का कुल रकबा 45 बीघा था । वादीगण के पूर्वजों ने आराजी मानमल वल्द हीरालाल से 2800/– रूपये में क्रय की थी और कब्जा प्राप्त किया था । मानमल वल्द हीरालाल के विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही चली जिसमें उनके द्वारा वादीगण के पूर्वजों की खरीदशुदा भूमि सरेण्डर की । उज्रदारी पेश करने पर सहायक जिलाधीश बून्दी द्वारा दिनांक 26.11.1978 को इस भूमि को सीलिंग से मुक्त कर अन्य भूमि का विकल्प पेश करने का आदेश दिया । आगे दावे में उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी सरकार सिवाय चक दर्ज है जिस पर उनका प्रतिकूला कब्जा है । वादी के द्वारा दावे में सीलिंग के बावत् जो कथन किया गया है उसके बारे में हमारा मत है कि यदि यह आराजी सहायक जिलाधीश बून्दी के आदेश से सीलिंग से मुक्त की गई है और फिर भी सिवाय चक दर्ज है तो उन्हें सम्बन्धित न्यायालय में इस बाबत् चाराजोही करनी चाहिए न कि उन्हें पृथक से हक घोषणा का दावा । पृथक से दावा हक घोषणा का इस आराजी के बाबत् मेन्टेनेबल नहीं है ।

13. दूसरा महत्वपूर्ण एवं विचारणीय बिन्दु यह है कि वादी के द्वारा स्वयं यह कथन किया गया है कि आराजी सरकारी सिवाय चक है और इस पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर उनके खातेदारी अधिकार परिपक्व हो गये हैं । इस क्रम में हमारा हम है कि कृषि भूमि विशेषकर सरकार सिवाय चक भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इस प्रकार इन दोनों परिस्थितियों में वादी का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक रूप से वादी का वाद खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14.8.18

(भगवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/458

1. मोहनलाल आत्मज गोपीलाल जाति मीणा निवासी नन्दपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
2. रामकिशन आत्मज गोपीलाल जाति मीणा निवासी नन्दपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
3. रामलाल आत्मज श्री कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम नन्दपुरा तहसील एवं जिला बून्दी।
4. गोमदा आत्मज कल्याण जाति मीणा निवासी नन्दपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
5. गेन्द बिहारी आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम नन्दपुरा तहसील व जिला बून्दी।

—अपीलार्थी

बनाम

1. बिरधी लाल आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम नन्दपुरा तहसील व जिला बून्दी
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 71/दावा/2005

1. मोहनलाल आत्मज गोपीलाल जाति मीणा निवासी नन्दपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
2. रामकिशन आत्मज गोपीलाल जाति मीणा निवासी नन्दपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
3. रामलाल आत्मज श्री कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम नन्दपुरा तहसील एवं जिला बून्दी।
4. गोमदा आत्मज कल्याण जाति मीणा निवासी नन्दपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
5. गेन्द बिहारी आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम नन्दपुरा तहसील व जिला बून्दी।

——वादी

बनाम

1. बिरधी लाल आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम नन्दपुरा तहसील व जिला बून्दी
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 14.08.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री रामदत्त शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 14.08.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

71/दावा/2005